

डिस्क्लेमर

आदेश संख्या 06/2026-27 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रान्ति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

आदेश संख्या 06 /2026-27

ऐरा कार्यालय
तृतीय तल, उड़ान भवन
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली- 110003

जारी करने की तारीख: 19.05.2026

सेवा	:	ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं (जीएचएस)
सेवा प्रदाता	:	मैसर्स एजीएच पोर्ट एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
हवाईअड्डा	:	मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मंगलुरु
हवाईअड्डा प्रचालक	:	मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मंगलुरु

विषय: मैसर्स एजीएचपोर्ट एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से 30.09.2026 तक के लिए तदर्थ टैरिफ निर्धारित करने के मामले में।

स्वतंत्र सेवा प्रदाता की प्रस्तुति

1. मैसर्स एजीएचपोर्ट एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (स्वतंत्र सेवा प्रदाता) ने अपनी दिनांक 24.03.2026 की ईमेल के माध्यम से प्राधिकरण को सूचित किया कि मंगलुरु हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए, हवाईअड्डा प्रचालक अर्थात् मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) द्वारा की गई निविदा प्रक्रिया में उसे सफल बोलीदाता के रूप में चुना गया है। इस संबंध में, हवाईअड्डा प्रचालक ने आईएसपी के पक्ष में दिनांक 10.03.2026 को 'कार्य सौंपने संबंधी पत्र' (एलओए) जारी किया, जिसके अंतर्गत उसे मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर 10 (दस) वर्ष की अवधि के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ और ब्रिज माउंटेड सेवाएँ प्रदान करने का लाइसेंस प्रदान किया गया है।

2. स्वतंत्र सेवा प्रदाता ने दिनांक 24.03.2026 की अपनी ईमेल के माध्यम से प्राधिकरण से अनुरोध किया कि वह मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, मंगलुरु में मैसर्स जीएसईसी बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के लिए ऐरा द्वारा पूर्व में अनुमोदित टैरिफ के आधार पर, ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ को अनुमोदित करे।
3. मैसर्स एजीएचपोर्ट एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 27.03.2026 की ईमेल के माध्यम से यह भी सूचित किया कि पिछली ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी (जीएचए) अर्थात मैसर्स जीएसईसी बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की रियायत अवधि 31.03.2026 को समाप्त हो रही है और उसके स्थान पर स्वतंत्र सेवा प्रदाता मंगलुरु हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करेगा, ताकि हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग प्रचालन का जारी रहना सुनिश्चित हो सके।
4. मैसर्स एजीएचपोर्ट एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ के अनुमोदन के लिए अपने अनुरोध के साथ, निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत कीं:
 - (i) मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, मंगलुरु द्वारा जारी दिनांक 10.3.2026 के पत्र संख्या एमआईएएल/सीओएमएम/जीएच/एजीएचपोर्ट/01/2178 का कार्य सौंपने संबंधी पत्र (एलओए)।
 - (ii) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा दिनांक 22.09.2025 के पत्र संख्या सीएस (एम) - 2025/ईएसएचएजे/एनएमआईएएल/एयूएक्स/मैसर्स एजीएचपोर्ट/एफ-01/ (ई274767) द्वारा जारी सुरक्षा अनुमति।

प्राधिकरण की जांच

5. प्राधिकरण ने यह नोट किया है कि मंगलुरु हवाईअड्डे के प्रचालक अर्थात मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) ने मैसर्स एजीएचपोर्ट एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (आईएसपी) के पक्ष में 'कार्य सौंपने संबंधी पत्र' जारी किया है, जिसके अंतर्गत उसे मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर 'ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ' प्रदान करने का लाइसेंस प्रदान किया गया है। हालाँकि, यह भी नोट किया गया कि आईएसपी ने हवाईअड्डा प्रचालक के साथ हुए 'रियायत करार' की कोई प्रति प्रस्तुत नहीं की है। तदनुसार, आईएसपी से यह कहा गया कि वह मंगलुरु हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ प्रदान करने के संबंध में, हवाईअड्डा प्रचालक के साथ किए गए रियायत करार की एक प्रति प्रस्तुत करे।
6. इसके बाद मैसर्स एजीएचपोर्ट एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने स्वतंत्र सेवा प्रदाता और हवाईअड्डा प्रचालक के बीच 04.05.2026 को हुए रियायत करार की एक प्रति प्रस्तुत की। यह करार मंगलुरु हवाईअड्डे पर प्रभावी तारीख से दस (10) वर्ष की अवधि के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ उपलब्ध कराने के संबंध में था; साथ ही, इसमें आपसी सहमति से तय की गई अवधि के लिए लाइसेंस की अवधि बढ़ाने का अधिकार भी शामिल था।
7. प्राधिकरण यह नोट करता है कि मैसर्स एजीएचपोर्ट एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएस) के दिनांक 22.09.2025 के पत्र संख्या सीएस (एम) -2025/ ईएसएचएजे/ एनएमआईएएल/एयूएक्स/मैसर्स एजीएचपोर्ट/एफ-01/ (ई274767) द्वारा सुरक्षा अनुमति प्राप्त कर ली है; और यह सुरक्षा अनुमति, उपर्युक्त पत्र जारी होने की तारीख से पांच (5) वर्ष के लिए वैध है।
8. आईएसपी ने प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि प्राधिकरण मंगलुरु हवाईअड्डे के लिए मैसर्स जीएसईसी बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व जीएचए) के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए दिनांक 17.03.2022 के आदेश संख्या 48/2021-22 के माध्यम से ऐरा द्वारा पहले से अनुमोदित टैरिफ के अनुसार, तदर्थ टैरिफ का अनुमोदन करे।

9. आईएसपी के अनुरोध की जांच करने के बाद, प्राधिकरण का यह विचार है कि स्वतंत्र सेवा प्रदाता (आईएसपी) द्वारा अपना बहु-वर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) प्रस्तुत करने में और आईएसपी के लिए नियमित टैरिफ निर्धारण के लिए प्राधिकरण द्वारा उचित विनियामक प्रक्रिया पूर्ण करने में कुछ समय लगेगा। इस बीच अंतरिम उपाय के तौर पर, प्राधिकरण ने मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर आईएसपी की ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में 'तदर्थ टैरिफ' को मानने का निर्णय लिया है; यह निर्णय मंगलुरु हवाईअड्डे पर पूर्ववर्ती ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी (मैसर्स जीएसईसी बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) के लिए ऐरा द्वारा पहले अनुमोदित नियमित टैरिफ के आधार है।

आदेश

रिपोर्टों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा आदेश देता है कि:

- (i) मैसर्स एजीएचपोर्ट एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, मंगलुरु में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए **अनुलग्नक I, II एवं III** के अनुसार, प्रभार लगाने और संग्रहित करने की अनुमति दी जाती है, जो वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से 30.09.2026 तक, या आईएसपी के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, लागू रहेंगे।
- (ii) प्राधिकरण निर्णय लेता है कि अंतरदेशीय नॉन शेड्यूल्ड उड़ानों और सामान्य विमानन प्रचालनों के लिए टैरिफ, समान प्रकार के विमान(नों) के लिए संगत अंतरदेशीय शेड्यूल्ड उड़ानों के लिए अनुमोदित टैरिफ से अधिक नहीं होगी।
- (iii) ऊपर बताए अनुसार अनुमोदित टैरिफ प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली अधिकतम टैरिफ होंगी। अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।
- (iv) मैसर्स एजीएचपोर्ट एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नागर विमानन मंत्रालय द्वारा इसके दिनांक 27.10.2022 के पत्र संख्या एवी-24011/10/2021-एएआई-एमओसीए द्वारा जारी निदेशों के अनुसार मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग उपस्कर के मानकीकरण का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
- (v) इसमें अनुमोदित टैरिफ में लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।
- (vi) हवाईअड्डा प्रचालक मैसर्स एजीएचपोर्ट एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में इस तदर्थ टैरिफ आदेश को सभी हितधारकों की जानकारी के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।
- (vii) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवा में,

श्री विजय मेहता,
एजीएचपोर्ट एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,
पीएपी संख्या 03 सुचिता बिजनेस पार्क पटेल चौक,
मुम्बई -400077

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली-110003
2. मुख्य हवाईअड्डा अधिकारी, मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, बाजपे मेन रोड, केंजर हाईकोर्ट, मंगलुरु, कर्नाटक - 574142

